

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि.

रजि. कार्यालय: डी-ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

GSTIN- 08AAFCR2824M1Z3

फोन न: 0141-2228060-61, फैक्स न: 0141-2228065

ई-मेल: edf-rmsc-rj@nic.in

CIN: U24232RJ2011SGC035067

Website: rmsc.health.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ.9 ()/आरएमएससी/भण्डार/सफाई/2019-20/ 327

दिनांक: 29/5/2019

निविदा सूचना

गाँधी-ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम जयपुर स्थित आरएमएससी कार्यालय परिसर के सम्पूर्ण क्षेत्र में एक वर्ष (01.07.2019 से 30.06.2020 तक) के लिए सफाई कार्य हेतु इस क्षेत्र में कार्य करने वाली फर्मो/संस्थाओं से सीलबन्द लिफाफे में तकनीकी एवं वित्तीय निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र एवं शर्तें आरएमएससी कार्यालय से निर्धारित शुल्क ₹ 500/-का डीडी/बैंकर चैक राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि., जयपुर के नाम भिजवाकर दिनांक 10.06.2019 को दोपहर 3.00 बजे तक प्राप्त एवं जमा किए जा सकते हैं।

क्र०सं०	अनुमानित लागत (₹ लाखों में)	बोली प्रतिभूति (₹ में)	निविदा शुल्क (₹ में)	निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	प्राप्त निविदा प्रपत्र के खोले जाने की तिथि
1	3.75	7500.00	500.00	10.06.2019 (दोपहर 3.00 बजे तक)	10.06.2019 (दोपहर 5.00 बजे तक)

निगम की वेब-साईट <http://www.rmsc.nic.in/> <http://sppp.rajasthan.gov.in>

से डाउनलोड किया जा सकता है जिसकी निविदा शुल्क की राशि ₹ 500/- निविदा प्रपत्र जमा कराते समय निगम में आवश्यक रूप से जमा कराई जाए। प्राप्त निविदाएँ दिनांक 10.06.2019 को सांय 5.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जाएगी। कार्यालय परिसर का अवलोकन कार्यालय समय 9.30 से 6.00 बजे तक किया जा सकता है।


विशेषाधिकारी, आरएमएससी

निविदा लिफाफे एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने का तरीका :-

1. निविदादाता द्वारा निविदाएँ दो अलग-अलग लिफाफों में प्रस्तुत की जाएगी। प्रथम लिफाफा प्रपत्र 'अ' तकनीकी निविदा (प्रि-क्वालीफिकेशन) तथा दूसरा लिफाफा प्रपत्र 'ब' वित्तीय निविदा के लिए होगा।
2. निविदादाता को निविदा सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार उचित लिफाफे में निविदा प्रस्तुत करनी होगी तथा लिफाफों के ऊपर तकनीकी निविदा या वित्तीय निविदा स्पष्ट रूप से उल्लेखित करनी होगी।
3. प्रथम लिफाफे में निम्न प्रपत्र रखे जाएँगे :-
 - I. प्रपत्र 'अ' तकनीकी निविदा
 - II. अनुभव प्रमाण पत्र
 - III. टर्न ओवर का चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट (सनदी लेखाकार) का प्रमाण पत्र या अन्य संबंधित साक्ष्य
 - IV. बोली प्रतिभूति राशि ₹ 7500/- का एवं निविदा प्रपत्र शुल्क राशि ₹ 500/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक (बोली प्रतिभूति के अभाव में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा)
 - V. मूल निविदा प्रपत्र एवं शर्तें परिशिष्ट-ए जिसके प्रत्येक पेज पर निविदादाता के हस्ताक्षर हो।
 - VI. श्रम विभाग, पी.एफ. विभाग एवं ई.एस.आई. विभाग के पंजीयन प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियाँ तथा जीएसटी पंजीकृत प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
 - VII. सफाई उपकरणों एवं सामग्री का विवरण।
4. दूसरे लिफाफे में केवल वित्तीय निविदा (प्रपत्र 'ब') होगी जिसमें निविदादाता को अपनी मासिक दर अंको एवं शब्दों में स्पष्ट रूप से अंकित करनी होगी। शब्दों एवं अंकों में उल्लेखित राशि में अन्तर होने पर दोनों में से जो राशि कम होगी उस पर विचार किया जाएगा।
5. दोनों लिफाफे एक बड़े तीसरे लिफाफे में बन्द कर प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन, जयपुर के कार्यालय में निर्धारित तिथि एवं समय तक प्रस्तुत/प्रेषित करने होंगे। लिफाफे के ऊपर राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन कार्यालय भवन के सम्पूर्ण क्षेत्र के सफाई कार्य हेतु निविदा स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए।



अनुमानित लागत: ₹ 3.75 लाख

बोली प्रतिभूति: ₹ 7500.00

अंतिम तिथि: 10.06.2019

निविदा – प्रपत्र 'अ' तकनीकी निविदा

कार्य का नाम:- वित्तीय वर्ष 2019-20 के (01.07.2019 से 30.06.2020)
12 माह हेतु आरएमएससी कार्यालय में सफाई कार्य

1. निविदादाता फर्म का नाम व पूर्ण पता:-
2. निविदा सूचना क्रमांक दिनांक
3. निविदा शुल्क राशि ₹ 500/- जमा कराने का विवरण:-
डी.डी./बैंकर चैक संख्या दिनांक.....
4. निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 10.06.2019 समय दोपहर 3.00 बजे तक।
निविदा खोले जाने की दिनांक 10.06.2019 समय सायं 5.00 बजे
5. अमानत राशि ₹ 7500/- जमा कराने का विवरण:-
डी.डी./बैंकर चैक सं०..... दिनांक
6. श्रम विभाग में पंजीयन क्रमांक.....
7. जीएसटी पंजीकरण संख्या (यदि लागू हो).....
8. पेन संख्या
9. बैंक खाते का विवरण ... संलग्न करें।
10. कार्य अनुभव का विवरण एवं उपलब्ध उपकरणों का विवरण:-.....

मुझे इस निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न समस्त शर्तें मंजूर हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता

निविदादाता का नाम

एवं पूर्ण पता

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि. कार्यालय के सम्पूर्ण क्षेत्र में सफाई कार्य
के लिए निविदा की शर्तें एवं नियम

निविदादाता को निम्नलिखित शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए एवं अपनी निविदा भरते समय पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिए :-

(अ) निविदादाता की पात्रता (Eligibility Criteria) जो अनिवार्य है एवं जिनके अभाव में निविदा निरस्त मानी जा सकेगी- निम्न प्रकार है:-

1. निविदादाता फर्म श्रम विभाग में पंजीकृत होनी चाहिए तथा निविदा प्रपत्र के साथ पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न की जानी अनिवार्य है।
2. निविदादाता फर्म पी.एफ. विभाग एवं ई.एस.आई. विभाग में पंजीकृत होनी चाहिए तथा निविदा प्रपत्र के साथ सम्बन्धित पंजीयन प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियाँ संलग्न की जानी अनिवार्य है।
3. निविदादाता फर्म को चिकित्सालय, राजकीय, अर्द्धशासकीय भवनों, बहुमंजिला इमारतों, शॉपिंग मॉल, होटल या संस्थागत भवन में कम से कम 20,000 वर्ग फीट क्षेत्र का संतोषप्रद सफाई कार्य कराने का न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। निविदा के साथ अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
4. निविदादाता फर्म का गत तीन वर्ष की अवधि में कम से कम औसत ₹ 4.00 लाख प्रति वर्ष का टर्न ओवर होना आवश्यक है। पुष्टि के लिए गत तीन वर्ष के टर्न ओवर का चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट (सनदी लेखाकार) का प्रमाण पत्र या अन्य सम्बन्धित साक्ष्य निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
5. निविदादाता को अमानत (बयाना) राशि के रूप में ₹ 7500.00 (अक्षरे ₹ सात हजार पांच सौ मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक जो राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन, जयपुर के नाम देय हो, निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।
6. निविदादाता के पास सफाई कार्य के लिए कम से कम तीन उपकरण (यथा- वेट एण्ड ड्राई स्कबर, कॉमर्शियल वैक्यूम क्लीनर तथा हाई प्रेशर टॉयलेट क्लनिंग मशीन) उपलब्ध होने चाहिये साथ ही उक्त उपकरणों की पुष्टि हेतु क्रय किये गये बिलों की छाया प्रति संलग्न करनी आवश्यक है।

उक्त पात्रता पूरी करने वाले योग्य निविदादाता ही तकनीकी निविदा (प्रि-क्वालीफिकेशन) में सफल माने जाएँगे तथा उन्हीं की वित्तीय निविदा खोली जाएगी। तकनीकी निविदा (प्रि-क्वालीफिकेशन) में योग्य नहीं पाए जाने वाले निविदादाताओं को वित्तीय निविदा नहीं खोली जा सकेगी।



(ब) कार्य सम्बन्धित विवरण एवं शर्त:-

1. निविदादाता को सफाई के लिए निम्नांकित उपकरणों एवं सफाई की सामग्री का उपयोग करना होगा :-

क्र. सं.	नाम उपकरण	न्यूनतम मात्रा
उपकरण		
1	वैट एण्ड ड्राई स्कबर	01
2	कॉमर्शियल वैक्यूम क्लीनर	01
3	हाई प्रेशर टॉयलेट क्लिनिंग मशीन	01

क्र. सं.	नाम उपकरण	न्यूनतम मात्रा
सामग्री का विवरण जो सफाई में उपयोग होगी		
1	लिक्विड सोप	आवश्यकतानुसार
2	एसिड	आवश्यकतानुसार
3	हारपिक	आवश्यकतानुसार
4	टॉयलेट साफ करने के लिए ब्रुश	आवश्यकतानुसार
5	जूना	आवश्यकतानुसार
6	पोचा / सन, पोचा कोटन	आवश्यकतानुसार
7	जोन साफ करने का बाँस	आवश्यकतानुसार
8	फिनायल	आवश्यकतानुसार
9	झांडू	आवश्यकतानुसार
10	फिनायल की गोलियां	आवश्यकतानुसार
11	ओडोनिल	आवश्यकतानुसार
12	रूम स्प्रे	आवश्यकतानुसार
13	ब्रासो	आवश्यकतानुसार
14	कोलिन	आवश्यकतानुसार
15	फिनीट	आवश्यकतानुसार
16	अन्य सामग्री	आवश्यकतानुसार

Handwritten signature

2. राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन भवन के तीनों तल सहित समस्त गलियारों (Corridors) एवं प्रथम तल बेसमेन्ट व आस-पास के क्षेत्र की सफाई करनी होगी। इसमें से तीनों तल के गलियारों व कमरों में लगभग (20,000–22,000 वर्गफीट क्षेत्रफल) प्रतिदिन तीन बार सफाई करनी होगी। अधिक जानकारी के लिए आरएमएससी कार्यालय समय में मौका स्थिति का मुआयना किया जा सकता है तथा कार्यकारी निदेशक (गु.नि.) से अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सफाई Sweepers द्वारा की जाएगी।
3. राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन भवन के समस्त कमरों की सफाई दिन में दो बार करनी होगी।
4. राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन भवन के समस्त शौचालयों, मूत्रालयों, स्नानघरों एवं वाशवेसिनों तथा सिंकों की सफाई एवं धुलाई फिनायल से दिन में तीन बार करवानी होगी। सभी शौचालयों, मूत्रालयों एवं वाशवेसिनों में फिनायल की गोलियां हर समय उपलब्ध करानी होगी। समय-समय पर निविदादाता को ऑडोनिल का प्रयोग करना होगा। साथ ही निगम प्रशासन द्वारा निर्देशित स्थानों पर सुगन्धित द्रव्यों को इस्तेमाल भी करना होगा।
5. निविदादाता को समस्त, सफाईकर्म, सफाई में प्रयुक्त होने वाला सामान एवं उपकरण अपने स्तर से आपूर्ति करने होंगे एवं जिसकी निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इन पर होने वाला समस्त व्यय निविदादाता अपने स्तर से वहन करेगा तथा निगम द्वारा अनुमोदित दरों के अलावा अन्य किसी प्रकार का भुगतान निविदादाता को नहीं किया जाएगा।
6. सफाई के कार्य क्षेत्र का निरीक्षण कार्यालय समय में किसी भी कार्य दिवस को किया जा सकता है। निरीक्षण के दौरान सफाई में किसी भी प्रकार की कमी पाई जाने पर या समय पर सफाई नहीं होने पर राशि रू. 1000/- (अक्षरे राशि रू. एक हजार मात्र) प्रतिदिन के हिसाब से कटौती करते हुए मासिक बिल का भुगतान किया जाएगा। किन्तु माह में तीन दिवस से अधिक शिकायत प्राप्त होने पर बिना किसी नोटिस के अनुबन्ध समाप्त किया जा सकेगा एवं निगम में जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
7. सफाई से एकत्रित कचरे को कचरा डिपों पर स्वयं की कचरा गाड़ी के द्वारा पहुँचाने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
8. सप्ताह में कम से कम एक बार राजकीय अवकाश के दिन सम्पूर्ण आरएमएससी भवन की deep cleaning करनी होगी।

✓

(स) सामान्य नियम एवं शर्तें:-

1. अनुबन्ध की अवधि कार्यादेश स्वीकृति की तिथि से एक वर्ष तक के लिए मान्य होगी। निविदादाता का कार्य संतोषजनक होने की स्थिति में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 29(2)(झ) के अनुसार दर संविदा में अधिकतम 03 माह के लिए अभिवृद्धि की जा सकती है।
2. अनुबन्ध अनुमोदन होने पर अनुबन्धकर्ता द्वारा ₹ 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर 03 दिवस की अवधि में अनुबन्ध प्रस्तुत करना होगा जिसका समस्त व्यय अनुबन्धकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा। सफल निविदादाता को अनुबन्ध की राशि की 5 प्रतिशत राशि प्रतिभूति के रूप में डी.डी./बैंकर चैक प्रस्तुत करनी होगी। धरोहर राशि को प्रतिभूति राशि में समायोजित किया जा सकेगा। निगम द्वारा प्रतिभूति राशि पर फर्म को कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
3. निविदादाता के किसी कर्मकार द्वारा कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने/अवांछित गतिविधियों में लिप्त पाए जाने अथवा अनपेक्षित आचरण करने संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर अथवा अन्य किसी माध्यम से निगम के ध्यान में आने पर यदि निगम प्रशासन उस कर्मकार को हटाने के निर्देश अनुबन्धकर्ता को देता है तो अनुबन्धकर्ता द्वारा उस कर्मकार को तुरन्त हटाना होगा।
4. इस कार्य हेतु श्रम विभाग/राज्य सरकार के प्रावधानों के तहत कोई लाईसेन्स अथवा अनुमति पत्र लेना आवश्यक हो तो वह अनुबन्धकर्ता स्वयं के खर्च पर प्राप्त कर प्रस्तुत करेगा। अनुबन्धकर्ता को अपने कर्मकारों के कार्य दिवस, कार्य के घण्टे, दिये गये पारिश्रमिक इत्यादि की श्रम विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में सूचना व अन्य समस्त प्रकार के रिकार्ड को तैयार करने एवं तदुपरान्त सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी तथा किसी भी अधिकारी के माँगे जाने पर प्रस्तुत करनी होगी।
5. श्रम विधि नियम उपनियम व अधिसूचनायें आदि में दिए गए दिशा निर्देशों की पालना एवं समस्त श्रम नियमों की पालना करने का दायित्व अनुबन्धकर्ता का होगा। श्रम विधि नियम, उपनियम एवं अधिसूचनाओं की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये अनुबन्धकर्ता स्वयं उत्तरदायी होगा। अनुबन्धकर्ता को श्रम विधि नियम, उपनियम तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों एवं श्रमिक हित में जारी किये गए संशोधनों की पालना करने का दायित्व अनुबन्धकर्ता का होगा। पालना नहीं करने की स्थिति में प्रबन्ध निदेशक को अनुबन्ध निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
6. यदि अनुबन्धकर्ता के किसी कृत्य या अकृत्य से व्यथित होकर कोई कर्मकार न्यायालय में अनुतोष पाने हेतु कार्यवाही करता है और इसमें निगम प्रशासन को भी पक्षकार बनाता है तो निगम पर पड़ने वाला समस्त आर्थिक भार अनुबन्धकर्ता से वसूला जाएगा।




7. यदि अनुबन्धकर्ता/निविदादाता एवं उनके सफाई श्रमिकों के मध्य कोई विवाद होता है तो उसकी जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। इस संबंध में निगम प्रशासन का कोई दायित्व नहीं होगा। नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिए जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में निहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छँटनी, मुआवजा आदि देने का दायित्व अनुबन्धकर्ता का होगा।
8. अनुबन्धकर्ता द्वारा सफाई कार्य हेतु आपूर्ति किये जाने वाले श्रमिकों की किसी भी कारण तथा कार्य के समय व कार्य समय के उपरांत मृत्यु हो जाती है या किसी भी रूप में अथवा दुर्घटना में घायल/अपंग हो जाता है तो उसे किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने की समस्त जिम्मेदारी व दायित्व अनुबन्धकर्ता की होगी। इसके लिए निगम प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
9. अनुबन्धकर्ता को अनुबन्ध का संचालन स्वयं को ही करना होगा। वह किसी अन्य व्यक्ति/संस्था को अनुबन्ध सबलेट नहीं करेगा। सबलेट करने की स्थिति में अनुबन्ध तुरन्त प्रभाव से समाप्त माना जायेगा।
10. अनुबन्धकर्ता द्वारा सफाई कार्य में लगाए जाने वाले सफाई श्रमिकों की सूची, उनके पासपोर्ट साईज फोटो सहित प्रस्तुत करनी होगी। इनके आचरण एवं उसके द्वारा किए गए कार्य के लिए पूर्ण रूप से अनुबन्धकर्ता जिम्मेदार होगा। इन कर्मचारियों के पुलिस वेरीफिकेशन कराने की जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की होगी। अनुबन्धकर्ता को अपने कर्मचारियों को वर्दी जिस पर फर्म का नाम अंकित होगा ड्यूटी के दौरान पहननी होगी व पहचान/परिचय पत्र एवं नेम प्लेट उपलब्ध कराने होंगे। यदि कोई कर्मचारी निरीक्षण के दौरान बिना वर्दी या परिचय पत्र के पाया जाएगा तो प्रतिदिन ₹ 100/- की दर से शास्ति वसूल की जा सकेगी।
11. अनुबन्धकर्ता द्वारा कार्य बीच में छोड़ने पर या उसका कार्य संतोषप्रद नहीं होने की स्थिति में शर्त संख्या (ब)(6) के अनुसार अनुबन्धकर्ता को स्वीकृत अनुबन्ध निरस्त कर प्रतिभूति राशि जप्त करने का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध निदेशक को होगा तथा कार्य संतोषप्रद नहीं होने की स्थिति अनुबन्धकर्ता को लिखित में सूचित किया जाएगा जिसका समाधान तुरन्त प्रभाव से करना होगा अन्यथा की स्थिति में फर्म को ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है।
12. निगम प्रशासन द्वारा अनुबन्ध से संबंधित कोई भी सूचना अनुबन्धकर्ता से कभी भी प्राप्त की जा सकेगी इस हेतु अनुबन्धकर्ता को अनुबन्ध स्थल पर स्वयं की अनुपस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों को नामजद करना होगा जो कि अनुबन्धकर्ता के नाम से जारी पत्रों को प्राप्त करने एवं वांछित सूचना उपलब्ध कराने के लिए अधिकृत एवं उत्तरदायी हो। अधिकृत व्यक्ति राउण्ड दॉ क्लॉक संबंधित प्रभारी अधिकारी के संपर्क में रहेगा एवं निगम प्रशासन के द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तरदायी होगा।

13. किसी भी प्रकार का विवाद होने पर प्रबन्ध निदेशक का निर्णय अन्तिम होगा व अनुबन्धकर्ता को मानना होगा।
14. किसी भी निविदा को बिना कारण बताए निरस्त/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध निदेशक को होगा।
15. सफाई श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने तथा उनके पी.एफ. व ई.एस.आई. का अंशदान संबंधित विभागों में जमा कराने की पूर्ण जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की होगी।
16. सफाई श्रमिकों के ई.पी.एफ. विभाग में पंजीकृत होने एवं उनके यूनिक आई.डी. नम्बर प्राप्त करने का दायित्व अनुबन्धकर्ता का होगा।
17. सफाई श्रमिकों के ई.पी.एफ. व ई.एस.आई. विभाग में जमा होने वाले अंशदान की सूचना मासिक/त्रैमासिक आधार पर निगम को उपलब्ध करानी होगी।
18. यदि किसी निविदादाता को पूर्व में किसी भी विभाग, राजकीय उपक्रम, बोर्ड, निगम इत्यादि द्वारा ब्लेक लिस्ट किया गया है तो वह उक्त निविदा में भाग लेने हेतु पात्र नहीं होगा। यदि फिर भी किसी फर्म द्वारा निविदा में भाग लिया जाता है तो उसकी निविदा को निरस्त कर अमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।

(द) भुगतान का तरीका :-

1. अनुबन्धकर्ता को भुगतान निगम से RTGS/NEFT से किया जाएगा।
2. जितने क्षेत्र में सफाई कार्य नहीं होगा उस क्षेत्र की बिल से आनुपातिक कटौती कर भुगतान किया जाएगा।
3. स्रोत पर नियमानुसार आयकर की कटौती की जाएगी।


विशेषाधिकारी, आरएमएससी

मैंने/हमने उपर्युक्तानुसार अ से द तक में वर्णित सभी शर्तों को भली-भाँति पढ़ एवं समझ लिया है। मैं/हम उपर्युक्त वर्णित सभी शर्तों की पूर्ण पालना करने के लिए सहमत है।

हस्ताक्षर निविदादाता एवं नाम

अनुमानित लागत: ₹ 3.75 लाख
बोली प्रतिभूति: ₹ 7500.00
अंतिम तिथि: 10.06.2019

निविदा – प्रपत्र 'ब' (वित्तीय निविदा)

कार्य का नाम:– वित्तीय वर्ष 2019–20 के (01.07.2019 से 30.06.2020)
12 माह हेतु आरएमएससी कार्यालय में सफाई कार्य

आरएमएससी कार्यालय सम्पूर्ण क्षेत्र में सफाई कार्य के लिये वित्तीय निविदा।

1. निविदादाता फर्म का नाम व पूर्ण पता:–
.....
.....
2. दूरभाष संख्या..... मोबाईल नं०.....
3. सफाई कार्य की मासिक राशि का विवरण (मय सफाई सामग्री एवं आधुनिक सफाई उपकरणों सहित):–
अंकों में ₹.....
शब्दों में ₹.....
GST(SGST+CGST/IGST) @..... % एवं ₹
कुल राशि ₹.....
(यदि लागू हो तो जीएसटी अलग से दर्शाए)
मुझे निविदा के साथ संलग्न समस्त शर्तें मंजूर हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता
निविदादाता का नाम
एवं पूर्ण पता

